रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 486] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 1984/आश्विन 7, 1906
No. 486] NEW DELHI, SATURDAY, SEPT. 29, 1984/ASVINA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1984

का. आ. 752(अ) :—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 2 के खंड (घ क) के उपखंड (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवास विकास वित्त निगम को जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है,

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा के खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, एक वित्तीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 38/5/84-सी एल वी]

स. म. दूगड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1984

S.O. 752(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vii) of clause (d a) of section 2 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby specifies the Housing Development Finance Corporation, a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), as a financial institution for purposes of clause (g) of section 3 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

[File No. 38|5|84-CL. V]

S. M. DUGAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984